

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 29/2019 प्रार्थना पत्र

निशांत

// बनाम //

शमीम बानु व अन्य

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 04.04.2019

वकील वादी ने मूलवाद विद्धा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली तलब की गई। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर मूलवाद आज दिनांक को विद्धा किया जाकर खारिज हो चुका है। इसलिए इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-212 रा0का0अधि0 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

